माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी–(निगरानी)-0587/2019/देवास/भू.रा.

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा आज दिनांक 8/5/19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13-5-19 नियत।

रीडर क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-5-19 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रवि जैन पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र जैन आयु– 37 वर्ष, धंधा,– व्यापार, निवासी– 74, सिविल लाईन, देवास, जिला देवास म.प्र. .... आवेदक

बनाम

3. प्रितेश जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन आयु– 38 वर्ष, व्यवसाय– व्यापार, निवासी– 47, नयापुरा, देवास, जिला देवास म.प्र.

4. गोपालकुष्ण व्यास पुत्र श्री योगानन्द व्यास आयु– 84 वर्ष, व्यावसाय– सेवानिवृत्त सहायक संचालक शिक्षा विभाग, निवासी– 79 कृष्ण कुंज, कर्मचारी कॉलोनी के पास, देवास, जिला देवास म.प्र.

.... अनावेदकगण

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान 08/5/19

नगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 28.03.2019 एवं 18.04.2019 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 906/अपील/2017–18 से दुखित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य–

1. यहकि, न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 906/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनाक 10.09.2018 में जिसके द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्म महोदय द्वारा अपील को अंतरिम सुनवाई हेतु ग्राहे किये जाने के बावजूद प्रकरण में बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर उक्त अपील मे आवेदक द्वारा धारा 52 पर की गई प्रार्थना को अनदेखा कर आवेदक के स्थगन आवेदन पत्र स्वीकार न करते हुए उसे खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित एवं दुखित होकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-587/2019/देवास/भू.रा.

रवि जैन विरूद्ध प्रितेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-05-2019	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित । उन्हें सुना गया । इस संबंध में निगरानी पूर्व में मंडल के समक्ष दो बार प्रस्तुत की गई है । मंडल के आदेश दिनांक 13-11-2018 और 14-02-2019 द्वारा अपर आयुक्त के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित करते हुए प्रकरण का निराकरण 3 माह के अंदर करने के निर्देश अपर आयुक्त उज्जैन को दिये गये थे । आवेदक के अभिभाषक द्वारा बताया गया कि अभी भी इस प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है । अतः अपर आयुक्त उज्जैन को पुनः 3 माह में प्रकरण के निराकरण करने तथा प्रकरण का अंतिम निराकरण तक कलेक्टर देवास के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित करने का आदेश दिया जाता है । प्रकरण प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	